[2025] 7 एस. सी. आर 523:2025 आई. एन. एस. सी 848

विजय कुमार

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

(2025 की दिवानी अपील सं. 9496)

15 जुलाई 2025

[पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा और जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

उच्च न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के तहत अपीलकर्ता को देय पेंशन में एक-तिहाई की कटौती को बरकरार रखा।

हेडनोट्स

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 - सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 - अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने बिना उचित मूल्यांकन के ऋण स्वीकृत किए - जांच शुरू की गई - जांच प्रतिवेदन में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया - इसके परिणामस्वरूप, उप महाप्रबंधक द्वारा अपीलकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया - अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकरण, यानी क्षेत्रीय महाप्रबंधक के समक्ष अपील दायर की - अपील के लंबित रहने के दौरान, क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने दो-तिहाई अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान करने की सिफारिश की - बाद में, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील भी खारिज कर दी गई - अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्ण

सेवानिवृत्ति लाभ मांगा - उच्च न्यायालय ने बैंक के उस निर्णय को बरकरार रखा जिसमें अपीलकर्ता को देय पेंशन में एक-तिहाई की कटौती की गई थी - शुद्धता:

अभिनिर्धारित किया: पेंशन विनियमन के विनियमन 33 को सरलता से पढ़ने पर यह दर्शाता है कि पूर्ण पेंशन से कम पेंशन प्रदान करने का निर्णय निदेशक मंडल के साथ पूर्व परामर्श के बाद किया जाना चाहिए - बैंक के सर्वोच्च प्राधिकारी अर्थात निदेशक मंडल के साथ इस प्रकार के पूर्व परामर्श को किसी कर्मचारी के पेंशन के संवैधानिक अधिकार में कटौती करने से पहले एक मूल्यवान अनिवार्य सुरक्षा उपाय के रूप में समझा जाना चाहिए। - इन परिस्थितियों में, निर्णय लेने से पहले निदेशक मंडल के साथ पूर्व परामर्श के स्थान पर बाद में दी गई स्वीकृति विकल्प नहीं हो सकती - निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श के बिना पेंशन कम करने वाले क्षेत्रीय महाप्रबंधक के आदेश और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है। - इस प्रकार, बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और निदेशक मंडल के साथ पूर्व परामर्श के बाद पेंशन में कटौती के संबंध में उचित निर्णय ले। [कंडिका 21, 24]

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 – विनियम 33 (1) और (2) को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए:

अभिनिर्धारित किया: विनियम 33 के खंड (1) और खंड (2) को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उन सभी मामलों में जब विनियमों के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी को स्वीकार्य पूर्ण पेंशन में कटौती की जाती है, निदेशक मंडल के साथ पूर्व परामर्श आवश्यक है। [कंडिका 19]

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 – विनियम 33 – सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 – सक्षम प्राधिकारी:

निर्णय: 'सक्षम प्राधिकारी' को अनुशासन और अपील विनियमों तथा पेंशन विनियमों दोनों में निदेशक मंडल द्वारा इन विनियमों के प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है – अनुशासन और अपील विनियमों में यह और स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी को दोषी कर्मचारी से उच्चतर होना चाहिए और वह स्केल IV अधिकारी से निचले रैंक का अधिकारी नहीं हो सकता – अनुशासन और अपील विनियमों के खंड 3(बी) को अनुसूची के साथ पढ़ने पर यह दर्शाता है कि सहायक महाप्रबंधक से निचले रैंक का न होने वाला और अनुशासन प्राधिकारी से उच्चतर रैंक वाला अधिकारी इन विनियमों के तहत अपीलीय प्राधिकारी होता है – दोनों विनियमों के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक (जो अनुशासन प्राधिकारी से उच्चतर रैंक और सहायक महाप्रबंधक से उच्चतर रैंक रखता है) न केवल खंड (1) के तहत पेंशन में कटौती करने के लिए सशक्त अनुशासन प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी है, बल्कि अनुशासन और अपील विनियमों के तहत अपीलीय प्राधिकारी भी है जो अपीलीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

न्याय दृष्टान्त

राव शिव बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[1953] 1 एस.सी.आर. 1188 :(1953) 2 एस. सी. सी. 111-संदर्भित।**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (एस. सी. एस.) एसोसिएशन, यू. पी. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। **[1992] पूरक 2 एस.सी.आर. 389: (1993) पूरक 1 एस. सी. सी. 730-पर निर्भर।**

अधिनियमों की सूची

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976.

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून; पेंशन; पेंशन में कटौती; सक्षम प्राधिकारी; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 का विनियम 33; निदेशक मंडल के साथ पूर्व परामर्श; कर्मचारी का पेंशन का संवैधानिक अधिकार।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2025 की दिवानी अपील सं 9496

2017 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं 7831 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 22.04.2024 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ताः

नीरज शेखर, श्रीमती क्षमा शर्मा, राजेश कुमार मौर्य, उज्जवल आशुतोष, रामेंद्र विक्रम सिंह, राम बचन चौधरी, अमरेंद्र सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ताः

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष वाड, मनोज वाड, सुश्री स्वाति आर्य, सुश्री आकृति आर्य, सुश्री निशी संगतानी, मोहम्मद हादी, मेसर्स जे. एस. वाड एंड कंपनी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति

1. विलंब को माफ किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2024 को पारित निर्णय के खिलाफ है, जिसमें न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995[1] के तहत अपीलकर्ता को देय पेंशन में एक-तिहाई की कटौती को बरकरार रखा।

3. अपीलकर्ता, जो प्रतिवादी संख्या 1- बैंक में स्केल-IV अधिकारी के रूप में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे, को एक आरोप पत्र सौंपा गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि धनबाद शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 12 खातों से संबंधित ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें आय का[5] उचित मूल्यांकन नहीं किया गया, केवाईसी अनुपालन की जांच नहीं की गई, स्वीकृति के बाद निरीक्षण नहीं किया गया आदि, जिसके कारण बैंक को भारी वित्तीय नुकसान की संभावना उत्पन्न हुई।

4. ए.के. रॉय, सहायक महाप्रबंधक (स्केल-V अधिकारी) को जांच प्राधिकारी (आईए) नियुक्त किया गया। जांच के दौरान, अपीलकर्ता ने 30.11.2014 को सेवानिवृत्ति प्राप्त की, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979[2] के विनियमन 20(3)(iii) के तहत जांच जारी रखी गई। उन्होंने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसमें अपीलकर्ता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन अत्यधिक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के

---

1 इसके बाद, पेंशन विनियम।

55555. इसके बाद, पेंशन विनियम।

2 इसके बाद, सेवा विनियम।

साथ करने में विफल पाया गया, जो एक बैंक अधिकारी के लिए अनुचित आचरण था तथा उनके निजी लाभ हेतु बैंक को भारी वित्तीय हानि की स्थिति में डालने वाला था। यह जांच प्रतिवेदन अपीलकर्ता को सौंपी गई, जिस पर उन्होंने अपना उत्तर प्रस्तुत किया। उनके उत्तर पर विचार करने के उपरांत, अनुशासनिक प्राधिकार अर्थात् उप महाप्रबंधक (स्केल-VI अधिकारी) ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को बरकरार रखा तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976[3] के नियम 4(h) के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की प्रमुख दंडात्मक सजा अधिरोपित की, जो अधिवृत्ति की तिथि से प्रभावी थी। इसके विरुद्ध, अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकार अर्थात् क्षेत्रीय महाप्रबंधक (स्केल-VII अधिकारी) के समक्ष अपील दायर की।

5. अपील लंबित रहने के दौरान, क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्णिया, जो स्केल-IV अधिकारी थे तथा अपीलकर्ता के समकक्ष स्तर के अधिकारी थे, ने दिनांक 05.08.2015 को अपीलकर्ता के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अंतर्गत न्यूनतम देय पेंशन अर्थात् दो-तिहाई पेंशन की संस्तुति की। तत्पश्चात, क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने दिनांक 07.08.2015 के आदेश द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक की संस्तुति से सहमति व्यक्त की और दो-तिहाई अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान किए जाने की अनुशंसा की। इसके उपरांत, दिनांक 30.12.2015 को उक्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपीलकर्ता की अपील को निरस्त कर दिया और और उस पर लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा।

6. अपीलकर्ता ने प्रारंभ में उच्च न्यायालय का रुख किया और सेवा विनियमों के नियम 20(3)(iii) की वैधता को चुनौती दी, जिसने बैंक को अधिवृत्ति (सेवानिवृत्ति) के उपरांत भी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का अधिकार प्रदान किया था, साथ ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त करने तथा संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों के

3 इसके बाद, अनुशासन और अपील विनियम।

भुगतान की प्रार्थना की। किन्तु तत्पश्चात उन्होंने अपनी चुनौती केवल संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान तक ही सीमित कर दी।

7. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि बैंक ने ग्रेच्युटी जब्त करने का कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन उसने अपीलकर्ता को देय पेंशन का दो-तिहाई हिस्सा देने का निर्णय लिया है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने ग्रेच्युटी जारी करने का निर्देश देते हुए बैंक के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसके तहत अपीलकर्ता को देय पेंशन का एक-तिहाई भाग घटा दिया गया था।

8. पेंशन के एक-तिहाई भाग की कटौती से क्षुब्ध होकर अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। बैंक ने अपीलकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया है और अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, अर्थात् क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्णिया का न्यूनतम पेंशन प्रदान करने संबंधी संस्तुति पत्र तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा अपीलकर्ता को दो-तिहाई पेंशन स्वीकृत करने का अनुमोदन पत्र।

9. श्री नीरज शेखर ने यह प्रतिपादित किया कि पेंशन कोई अनुग्रह (बाउंटी) नहीं है और अपीलकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संरक्षित है। ऐसा अधिकार केवल विधि में स्पष्ट उपबंध द्वारा ही छीना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए त्रुटि की कि अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन पाने का अधिकारी ही नहीं है जब तक कि पेंशन विनियमों के नियम 33(1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित न किया जाए। नियम 33(1) और (2) का सामंजस्यपूर्ण अर्थ यह होगा कि जहाँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया है, वहाँ ऐसे कर्मचारी को पूर्ण पेंशन के दो-तिहाई से कम पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं

है, और ऐसी कटौती केवल निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श के उपरांत ही की जा सकती है।

10. इसके विपरीत, श्री ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि नियम 33(1) और (2) को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि दोनों उपबंध परस्पर अनन्य हैं और भिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं, जो एक-दूसरे से ओवरलैप नहीं करते। उपबंध (1) के अनुसार, वह प्राधिकारी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करने वाले सक्षम प्राधिकारी से उच्च पदस्थ है, दो-तिहाई से कम नहीं पेंशन प्रदान कर सकता है, जबकि उपबंध (2) सक्षम प्राधिकारी को, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करता है, अपनी मूल, अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण पेंशन से कम पेंशन देने की अनुमति देता है। केवल इसी दूसरी स्थिति में निदेशक मंडल से परामर्श आवश्यक है। चूँकि पेंशन में कटौती क्षेत्रीय महाप्रबंधक (स्केल-VII अधिकारी) द्वारा की गई, जो अनुशासनिक प्राधिकारी (स्केल-VI अधिकारी) से उच्च पदस्थ प्राधिकारी हैं, अतः पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं थी और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं था।

11. यह विवाद पेंशन विनियमों के नियम 33 की व्याख्या के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन का प्रावधान करता है: जो इस प्रकार है:

> *"33. अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन - 1. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 या पुरस्कार/निपटान के अनुसार 1 नवंबर, 1993 को या उसके बाद दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को, ऐसा दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पेंशन*

प्रदान की जा सकती है, जो उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि पर उसे स्वीकार्य दो-तिहाई से कम और पूर्ण पेंशन से अधिक नहीं होगी, यदि अन्यथा वह उस तिथि को सेवानिवृत्ति पर ऐसी पेंशन का हकदार था।

2. जब कभी किसी बैंक कर्मचारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण क्षतिपूर्ति पेंशन से कम पेंशन देने का आदेश (चाहे वह मूल, अपीलीय या पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए) पारित करता है, तो ऐसा आदेश पारित करने से पहले निदेशक मंडल से परामर्श किया जाएगा।

3. खंड (1) या, जैसा भी मामला हो, खंड (2) के तहत प्रदान या स्वीकृत की गई पेंशन, प्रति माह तीन सौ पचहत्तर रुपये की राशि से कम नहीं होगी। ″

12. उपबंध (1) यह प्रावधान करता है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करने वाले सक्षम प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा पेंशन उस दर पर प्रदान की जाएगी, जो दो-तिहाई से कम और पूर्ण पेंशन से अधिक न हो। उपबंध (2) यह निर्देश देता है कि जब भी सक्षम प्राधिकारी अपनी मूल, अपीलीय अथवा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण प्रतिपूरक पेंशन से कम पेंशन देने का आदेश पारित करे, तो ऐसा आदेश पारित करने से पूर्व निदेशक मंडल से परामर्श किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रदान की गई पेंशन 375/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

13. 'सक्षम प्राधिकारी' की परिभाषा अनुशासन और अपील विनियमों तथा पेंशन विनियमों, दोनों में दी गई है, जिसके अनुसार यह वह प्राधिकारी है जिसे ऐसे विनियमों के प्रयोजनार्थ निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया हो। अनुशासन और अपील विनियमों में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी उस दोषी अधिकारी से उच्च होना चाहिए और स्केल-IV अधिकारी से निम्न पद धारण करने वाला अधिकारी नहीं होना चाहिए। अनुशासन और अपील विनियमों के उपबंध 3(ख) को अनुसूची[4] के साथ पढ़ने पर यह प्रदर्शित होता है कि सहायक महाप्रबंधक से निम्न पद का अधिकारी नहीं, बल्कि अनुशासन प्राधिकारी से उच्च पद धारण करने वाला अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी होगा। दोनों विनियमों के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय महाप्रबंधक (जो अनुशासन प्राधिकारी से उच्च पद धारण करते हैं और सहायक महाप्रबंधक से उच्च पद पर आसीन हैं) न केवल अनुशासन प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी हैं, जो उपबंध (1) के अंतर्गत पेंशन घटाने के लिए अधिकृत हैं, बल्कि अनुशासन और अपील विनियमों के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी भी हैं, जो पेंशन विनियमों के उपबंध (2) के अंतर्गत अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करके पेंशन घटा सकते हैं।

14. बैंक का तर्क है कि चूंकि पेंशन की कटौती क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा विनियम 33(1) के अंतर्गत उस प्राधिकारी के रूप में की गई, जो दंड अधिरोपित करने वाले अनुशासन प्राधिकारी से उच्च है, इसलिए निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श आवश्यक नहीं था, उन मामलों के विपरीत जहाँ सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुशासन प्राधिकारी, अनिवार्य

---

4 अनुशासन और अपील विनियमों की अनुसूची "2. बैंक का कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो अनुशासन प्राधिकारी से उच्च पद और स्थिति वाला हो, लेकिन सहायक महाप्रबंधक से निम्न पद और स्थिति वाला न हो, विनियम 17 के अर्थ के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होगा। "

सेवानिवृत्ति प्रदान करते समय पूर्ण प्रतिपूरक पेंशन से कम पेंशन देने का निर्देश देता है।

15. ऐसा तर्क निम्नलिखित कारणों से भ्रांतिपूर्ण है। उपबंध (2) सक्षम प्राधिकारी को न केवल मौलिक, बल्कि अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी पेंशन प्रदान करने की अनुमति देता है। यदि उपबंध (2) में प्रयुक्त 'सक्षम प्राधिकारी' की अभिव्यक्ति को केवल अनुशासनिक प्राधिकारी तक सीमित कर दिया जाए, तो अपीलीय अथवा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके पेंशन में कटौती करने का प्रावधान निरर्थक हो जाएगा। किसी भी ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो किसी क़ानून में शब्दों या अभिव्यक्तियों को निरर्थक बना दे[5]।

16. ऐसी स्थिति में बैंक की इस व्याख्या को स्वीकार करना कि दोनों उपबंधों को एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, एक विचित्र स्थिति उत्पन्न करेगा, जहाँ वही प्राधिकारी अर्थात् क्षेत्रीय महाप्रबंधक, यदि उपबंध (1) के अंतर्गत पेंशन में कटौती करता है, तो उसे निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि समान शक्ति का प्रयोग करते हुए उपबंध (2) के अंतर्गत यह परामर्श अनिवार्य है। इस विसंगति से बचने के लिए, जब भी कोई उच्च प्राधिकारी विनियम 33(1) के अंतर्गत पेंशन घटाता है और साथ ही वह अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी भी है, जिसे उपबंध (2) के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है, तो निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श को अनिवार्य माना जाना चाहिए। अन्यथा, ऐसे पूर्व परामर्श की आवश्यकता को बैंक द्वारा दरकिनार किया जा सकता है, जिससे कर्मचारी के हितों को हानि पहुँचेगी।

17. इसमें कोई विवाद नहीं कि पेंशन नियोक्ता का विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि यह संपत्ति का एक मूल्यवान अधिकार है और केवल विधि के प्राधिकार द्वारा ही इससे वंचित

5 राव शिव बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1953) 2 एससीसी 111

किया जा सकता है। जब किसी प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह पेंशन विनियमों के अंतर्गत देय पूर्ण पेंशन से कम पेंशन प्रदान करे, तो कर्मचारी के पक्ष में सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों, जिनमें पूर्व परामर्श भी शामिल है, का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

18. उच्च न्यायालय विनियम को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में पढ़ने में असफल रहा और एक कदम आगे बढ़कर यह कह दिया कि जब तक विनियम 33(1) के अंतर्गत कोई आदेश पारित न किया जाए, अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी पेंशन का अधिकारी नहीं है। विनियम 33 के खंडों को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को देय पेंशन उसकी पूर्ण पेंशन के दो-तिहाई या 375 रुपये प्रति माह, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी। उपबंध (1) में प्रयुक्त शब्द 'हो सकता है' का यह अर्थ नहीं है कि उच्च प्राधिकारी को पूर्ण पेंशन के दो-तिहाई से कम पेंशन प्रदान करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय ने इस शब्द 'हो सकता है' की गलत व्याख्या करते हुए यह मान लिया कि पेंशन का प्रदान करना विवेकाधीन है। वास्तव में, शब्द 'हो सकता है' को उसके सही संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात् इसका प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए किया गया कि उपबंध (1) उस स्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन पाने का अधिकारी नहीं बनाता, यदि वह उस दिन सेवानिवृत्ति पर ऐसी पेंशन का हकदार नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को 'योग्य सेवा' पूरी किए बिना अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, तो वह नियमों के तहत पेंशन के लिए पात्र हो जाता है।

19. *निष्कर्षतः*, हम मानते हैं कि विनियम 33 के उपबंध (1) और (2) को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और सभी स्थितियों में, जहाँ विनियमों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी को देय पूर्ण पेंशन घटाई जाती है, निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श आवश्यक है।

20. यह तर्क किया जा सकता है कि पेंशन घटाने संबंधी क्षेत्रीय महाप्रबंधक का आदेश निदेशक मंडल के समक्ष घटित होने के बाद (एक्स पोस्ट फक्टो) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। यह कि 'पूर्व परामर्श' अनिवार्य है या पश्चात अनुमोदन पर्याप्त होगा, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें परामर्श का स्वरूप, परामर्श किए जाने वाले प्राधिकारी की स्थिति, तथा निर्णय से प्रभावित होने वाले अधिकार शामिल हैं।

21. विनियम 33 को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण पेंशन से कम पेंशन प्रदान करने का निर्णय निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श के साथ ही किया जा सकता है। निदेशक मंडल, जो बैंक का सर्वोच्च प्राधिकारी है, से ऐसा पूर्व परामर्श, कर्मचारी के पेंशन जैसे संवैधानिक अधिकार को सीमित करने से पूर्व, एक मूल्यवान एवं अनिवार्य सुरक्षा के रूप में समझा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, घटित होने के बाद (एक्स पोस्ट फक्टो) अनुमोदन निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श का विकल्प नहीं हो सकता। इस संदर्भ में *भारतीय प्रशासनिक सेवा (एस.सी.एस.) एसोसिएशन, यू. पी. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*[6] में यह मानदंड संक्षेप में प्रतिपादित किए गए हैं कि यह तय करने के लिए कि पूर्व परामर्श अनिवार्य है या निर्देशात्मक:

> *26. उपर्युक्त चर्चा का परिणाम निम्नलिखित निष्कर्षों तक पहुँचता है:*

6 (1993) पूरक 1 एससीसी 730.

(1) परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें परामर्श करने वाले पक्षों के बीच विषय-वस्तु और तथ्यात्मक बिंदुओं पर विचारों का आदान-प्रदान होना चाहिए, जिससे सही अथवा कम-से-कम संतोषजनक समाधान निकाला जा सके। प्रस्तावक और जिनसे परामर्श किया जा रहा है, उनके बीच विचारों का मिलन होना चाहिए। अंतिम निर्णय के लिए ठोस तथ्य होने चाहिए, जो आधार और स्रोत का कार्य करें। परामर्श का उद्देश्य इसे सार्थक बनाना है ताकि इसका अभिप्रेत उद्देश्य पूरा हो। इस संदर्भ में पूर्व परामर्श अनिवार्य है।

(2) जब आपत्तिजनक कार्रवाई मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है या अंतर्निहित अलगाव को प्रभावी करने के लिए, निष्पक्ष प्रक्रिया के रूप में, परामर्श अनिवार्य है और गैर-परामर्श कार्रवाई को अधिकारहीन या अमान्य या शून्य बना देता है।

(3) जब प्रस्तावक प्राधिकारी परामर्श से प्राप्त राय अथवा सलाह से बाध्य है, तो परामर्श अनिवार्य है और उसका उल्लंघन कार्यवाही या आदेश को अवैध बना देता है।

(4) जब राय, सलाह या मत प्रस्तावक अथवा प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है, तो विपरीत कार्यवाही अवैध नहीं होती और न ही शून्य मानी जाती है।

(5) जब परामर्श का उद्देश्य केवल प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत कराना होता है और राय या सलाह प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं

होती तथा उसका पालन अनिवार्य नहीं होता, तो पूर्व परामर्श केवल निर्देशात्मक होता है। ऐसी स्थिति में कार्यवाही से पूर्व प्राधिकारी को प्रस्तावित कार्रवाई की सामान्य रूपरेखा बतानी चाहिए, विचारों अथवा आपत्तियों को प्राप्त कर उनका संज्ञान लेना चाहिए और तत्पश्चात् निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा। इस प्रकार की स्थिति में इसे "परामर्श के बाद" की गई कार्रवाई माना जाएगा।

(6) कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता, न ही शब्दों या परिभाषाओं से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा, और न ही यह उचित है कि परामर्श की विधि तय की जाए। न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह तय करना होगा कि कार्रवाई "परामर्श के बाद" की गई है; "वास्तव में परामर्श किया गया" था या "पर्याप्त परामर्श" हुआ।

(7) जहां कोई कार्रवाई विधायी प्रकृति की हो, वहां परामर्श, जैसा कि अधिनियम की धारा 3(1) में परिकल्पित है, का अर्थ है कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तावित कार्रवाई की सामान्य रूपरेखा से अवगत कराए और आपत्तियां या सुझाव प्राप्त होने के बाद, केंद्र सरकार या विधायिका अपनी नीति विकसित करने, आवश्यक जोड़-घटाव या संशोधन के साथ उचित विधान बनाने या मसौदा विधेयक या नियम में प्रस्तावित को छोड़ने के लिए स्वतंत्र हो। संशोधित मसौदा विधेयक या नियम, संशोधन

या परिवर्तित रूप में किए गए परिवर्धन को दोबारा सभी राज्य सरकारों को सूचित करने या नए सिरे से पूर्व परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। नियम या विनियम, जो विधायी प्रकृति के होते हैं, संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जाने पर लोगों के प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य सरकारों की मौन स्वीकृति प्राप्त करते हैं। अंतिम रूप से बनाया गया अधिनियम या नियम, परामर्श न होने के कारण शून्य, अतिक्रमणकारी या अमान्य नहीं माना जाएगा। "

22. श्री मेहता ने अंततः अंतिम प्रयास करते हुए हमसे अनुरोध किया कि हम पूर्ण न्याय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करें तथा वर्तमान मामले में पेंशन में कटौती को मंजूरी देने का अनुरोध किया।

23. यद्यपि यह दावा किया गया कि अपीलकर्ता के कदाचार से बैंक को लगभग 3.26 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह के नुकसान की गणना से संबंधित किसी भी साक्ष्य पर न तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा और न ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया। साथ ही, पेंशन में कटौती करने से पूर्व प्राधिकरणों ने अपीलकर्ता को कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। अतः अनुच्छेद 142 के अंतर्गत हमारी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का कोई असाधारण मामला नहीं बनता।

24. परिणामस्वरूप, हम अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय का आदेश तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधक का दिनांक 07.08.2015 का वह आदेश, जिसमें निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श किए बिना पेंशन घटाई गई थी, दरकिनार करते हैं। बैंक को यह स्वतंत्रता

होगी कि वह अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और निदेशक मंडल से पूर्व परामर्श करने के उपरांत, इस निर्णय की तिथि से दो माह के भीतर पेंशन में कटौती संबंधी उचित निर्णय ले। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता अधिवृत्ति की तिथि से पूर्ण पेंशन पाने का अधिकारी होगा।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

अंकित ज्ञान द्वारा हेडनोट तैयार किया गया

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।